न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : **ब्रह्मानन्द शर्मा, आर.जे.एस.**

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या : **02/2018**

सी.आई.एस. संख्या : **02/2018**

भागवन्ती देवी पुत्री हीरालाल, जाति नाई, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द, राजस्थान।

.....प्रार्थिया

विरूद्ध

1. सुशीला देवी पत्नी मदनलाल, जाति नाई, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द, राजस्थान।
2. मदनलाल पुत्र हीरालाल, जाति नाई, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द, राजस्थान।
3. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति दक, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द, राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :

1. श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता प्रार्थिया की ओर से।
2. श्री राजूसिंह रावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश **दिनांक : 17 जनवरी, 2019**

1. प्रार्थिया भागवन्ती देवी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण सुशीला देवी, मदनलाल व बाबूलाल बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2018 को इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थना–पत्र के परिच्छेद संख्या 2 में वर्णित भूखण्ड संख्या 104, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्गफिट है। विपक्षी संख्या 1 सुशीला देवी प्रार्थिया की भाभी, विपक्षी संख्या 2 मदनलाल प्रार्थिया का भाई होकर प्रार्थिया के विश्वास पात्र हैं, जिनके पास प्रार्थिया उसके असल दस्तावेजात रखती है। प्रार्थिया वृद्धा तथा अशिक्षित है। माह फरवरी, 2012 में मदनलाल को उसकी कृषि भूमि विक्रय करनी थी, जिसके लिए प्रार्थिया को साथ लिया तथा प्रार्थिया ने साथ रहकर विक्रय–पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवाया। दिनांक 09.04.2016 को प्रार्थिया को एक नोटिस इस आशय का प्राप्त हुआ कि

प्रार्थिया ने उक्त भूखण्ड को विपक्षी संख्या 1 सुशीला के नाम दिनांक 07.02.2012 को राशि 5,00,000/– रुपये में विक्रय किया गया था, जबकि प्रार्थिया ने अपने भूखण्ड को कभी विक्रय नहीं किया था, अप्रार्थीगण ने कपटपूर्ण तरीके से प्रार्थिया के उक्त भूखण्ड के संबंध में विक्रय–पत्र पर प्रार्थिया की अंगुष्ठ निशानी अंकित करवाई है। अप्रार्थीगण उक्त भूखण्ड पर कब्जे हेतु आमादा है, जिससे प्रार्थिया के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में प्रार्थिया भागवन्ती देवी ने स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने के उपरांत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिनकी नियमानुसार तामील होने के पश्चात् दिनांक 05.05.2018 को अप्रार्थिया संख्या 1 सुशीला की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी अन्तर्वस्तु में अप्रार्थिया द्वारा यह अन्तर्विष्ट किया गया कि प्रार्थना–पत्र मात्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थिया ने उक्त प्रासंगिक भूखण्ड अप्रार्थिया संख्या 1 सुशीला को विक्रय कर दिया है, जिसके संबंध में प्रार्थिया ने राशि 5,00,000/– रुपये प्राप्त कर विक्रय–पत्र पर स्वयं की अंगुष्ठ निशानी अंकित कर नोटेरी से तस्दीक करवाई थी। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थिया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अप्रार्थिया संख्या 1 सुशीला ने स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अध्योपान्त परिशीलन किया गया। सुसंगत विधि का विवेचन करने पर हस्तगत प्रकरण न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु हैं :–

(1) प्रथम दृष्टया मामला

(2) सुविधा का संतुलन

(3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथमदृष्टया मामला

4. इस संबंध में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किये हैं कि अप्रार्थिया सुशीला प्रार्थिया भागवन्ती देवी की भाभी व मदनलाल प्रार्थिया का भाई है, जिन्होनें प्रार्थिया के विश्वास का अनुचित लाभ लेते हुए स्वयं की भूमि के विक्रय की बात कहते हुए प्रार्थिया के प्रासंगिक भूखण्ड के संबंध में विक्रय–पत्र निष्पादित करवा प्रार्थिया भागवन्ती देवी की अंगुष्ठ निशानी अंकित करवा दी, चूंकि प्रार्थिया अशिक्षित थी, प्रार्थिया उक्त विक्रय–पत्र की अन्तर्वस्तु से अवगत नहीं हो सकी। अतः प्रार्थिया के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। जबकि अप्रार्थिया सुशीला की ओर से अधिवक्ता के दौराने बहस यह कथन रहे हैं कि उक्त भूखण्ड का विक्रय प्रार्थिया ने स्वेच्छया किया है, जिससे उक्त पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का निवेदन किया। अतः प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र को भारी खर्चे सहित खारिज किया जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनने तथा पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष ये तथ्य आये हैं कि उभय पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनके मध्य वैश्वासिक संबंध है। पत्रावली पर उपलब्ध नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा कमजोर वर्गों के लोगों को आवंटित आवासीय भूखण्डों के सुपुर्दगी–पत्र की प्रति संलग्न है, जिसमें उक्त प्रासंगिक भूखण्ड संख्या 104 के स्वामी के रूप में प्रार्थिया का नाम उल्लेखित किया गया है, जो कि दिनांक 14.01.2009 को जारी किया गया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से उक्त भूखण्ड दिनांक 07.02.2012 को स्वयं द्वारा क्रय किया जाना वर्णित किया गया है, जबकि उक्त दिनांक के पश्चात् दिनांक 11.11.2016 को नगर पालिका मण्डल, देवगढ़ द्वारा प्रार्थिया के नाम पर ही सूचना–पत्र जारी किया गया है। उक्त परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त प्रासंगिक विक्रय–पत्र वर्ष 2012 से अब तक पंजीकृत नहीं करवाया है व ना प्रार्थिया द्वारा ऐसा करने से इनकार करने पर कोई वाद ही प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया ने प्रासंगिक भूखण्ड पर स्वयं के स्वामित्व के संबंध में आवंटन–पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। ऐसे में प्रासंगिक भूखण्ड पर स्वामित्व व कब्जे का बिन्दु वाद की विषयवस्तु है, जिनका निस्तारण मूल वाद में पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के बाद ही किया जा सकता है। उपर्युक्त परिदृश्य में प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन व (3) अपूरणीय क्षति :–

9. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले के विवेचन में यह माना है कि विवादित भूखण्ड जिसका विवरण प्रार्थना–पत्र के परिच्छेद संख्या 2 में दिया गया है, पर स्वामित्व के संबधं में पक्षकारों के मध्य विवाद है तथा उक्त विवाद का निस्तारण मूल वाद में पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के बाद ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी पक्ष के द्वारा विवादित भूखण्ड के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या उसे किन्हीं दिगर व्यक्तियों को विक्रय हस्तांतरित किया जाता है, तो इससे मूल वाद के निस्तारण में अनावश्यक पेचिदगियां उत्पन्न होगी, जिसके कारण पक्षकारों के बीच में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जिससे प्रार्थिया को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति दोनों ही कारित होना स्वाभाविक है। जबकि यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित भूमि के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है एवं उसे किन्हीं दिगर व्यक्तियों को विक्रय हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो इससे प्रकरण की इस स्टेज पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा तथा अपूरणीय क्षति कारित नहीं होती है, जिससे उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में बनना पाये जाते हैं।

<u>आ दे श</u>

10. अतः प्रार्थिया भागवन्ती देवी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थीगण सुशीला देवी वगैरह आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र के परिच्छेद संख्या 2 में वर्णित भूखण्ड के संबंध में यथास्थिति बनाये रखें, भूखण्ड के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, उस पर किसी भी का प्रकार का कोई निर्माण नहीं

करें तथा उक्त भूमि को किसी भी रूप में दिगर व्यक्तियों को विक्रय हस्तांतरित करके उक्त भूमि पर किसी प्रकार का भार सृजित नहीं करें। अप्रार्थीगण उक्त भूखण्ड के उपयोग–उपभोग के संबंध में प्रार्थिया को बाधित नहीं करें।

(ब्रह्मानन्द शर्मा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
देवगढ, जिला राजसमन्द

11. आदेश आज दिनांक 17 जनवरी, 2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(ब्रह्मानन्द शर्मा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
देवगढ, जिला राजसमन्द